अध्याय- IV

उपयुक्त कर और अन्य प्रभारों की कम/गैर-वसूली

इस अध्याय में उन मामलों को प्रस्तुत किया गया है जहां सरकारी राजस्व अवरोधित हुआ या गलत निर्धारण के कारण कम/गैर-वसूली हुई, आयातित माल का कम निर्धारण हुआ और लागू प्रभारों की वसूली नहीं हुई। मामलों को अभिलेखों की नमूना जांच में देखा गया (अगस्त 2015 से मार्च 2017) मामलों में ₹ 15.03 करोड़ का कुल राजस्व निहित है। इनमें से 9 मामलों की निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है और 13 मामले जो विभाग द्वारा स्वीकार किये गये हैं और जिनमें या तो वसूली की गई या शुरू की गई है **अनुबंध 6** में दर्शाये गये हैं।

4.1 कोयले के आयात पर बीसीडी की कम उगाही

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 27 के उप शीर्षक नोट्स (2) के अनुसार, बिटुमिनस कोयले का अर्थ है कोयला जिसकी अस्थाई पदार्थ सीमा (सूखे, खनिज, प्रदार्थ मुक्त आधार पर) 14 प्रतिशत से अधिक हो और कैलोरी मान की सीमा (नमी, खनिज, पदार्थ मुक्त आधार पर) 5833 किलो कैलोरी/कि.ग्रा के बराबर या उससे अधिक हो। बिटुमिनस कोयला सीटीएच 27011200 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमाशुल्क (क्रम संख्या 124) दिनांक 17 मार्च 2012 के अंतर्गत पांच प्रतिशत की दर पर बीसीडी लगाने योग्य है। तथापि, सीटीएच 27011920 के अंतर्गत आने वाला स्टीम कोयला पाँच प्रतिशत बीसीडी से मुक्त है लेकिन उपरोक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 123 के अनुसार उस पर एक प्रतिशत सीवीडी वसूली योग्य है। सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम में स्टीम कोयले की कोई परिभाषा निर्धारित नहीं की गई है।

4.1.1 धामरा सीमाशुल्क डिविजन, धामरा की निर्धारण फाइलों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि विभिन्न आयातकों द्वारा आयातित कोयले के आठ प्रेषणों का अनंतिम निर्धारण उन्हे स्टीम कोयले (नॉन कोकिंग) के रूप में मानकर शून्य बीसीडी तथा एक प्रतिशत की दर पर सीवीडी लगाकर किया गया था यद्यपि बीई में विवरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आयातित कोयले में बिटुमिनस कोयले की विशेषताऐं थीं। इसके अतिरिक्त, सीमाशुल्क प्रयोगशाला से

मार्च 2013 में प्राप्त जांच रिपोर्टों ने भी आयातित कोयले में बिटुमिनस कोयले की विशेषताओं की पुष्टि की। तदनुसार, सीमाशुल्क मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार, अंतिम निर्धारण कथित बीई के वास्तविक दस्तावेजों के साथ-साथ जांच रिपोर्ट, जो जनवरी और अप्रैल 2013 के बीच प्राप्त हुई थी की प्राप्ति के छह महीनों की निर्धारित अवधि के अंदर पांच प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त शुल्क मांग के लिये किया जाना चाहिये था। अनंतिम निर्धारण में पांच प्रतिशत की लागू दर लगाने की बजाय बीसीडी में छूट देने के कारण ₹ 1.59 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई। सभी जांच रिपोर्टों की प्राप्ति के बाद निर्धारित अवधि के अंदर अनंतिम निर्धारणों का अंतिम निर्धारण न होने के कारण निर्धारितियों को अनुचित लाभ मिला।

यह बताने पर (मार्च 2016), विभाग ने टिप्पणी स्वीकार करते हुए कहा (मार्च 2017) कि आठ निर्धारितियों को ब्याज सहित ₹ 1.60 करोड़ के शुल्क के अंतर का भुगतान करने के लिये मांग पत्र जारी किये गये हैं। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितम्बर 2017)।

4.2 लागू एन्टी डंपिंग शुल्क के उदग्रहण के बिना आयात

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9ए के अनुसार, जहां भारत को किसी देश से किसी वस्तु का निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम पर किया जाए तो केन्द्रीय सरकार एक अधिसूचना द्वारा भारत के अन्दर ऐसी वस्तु के आयात पर एन्टी डंपिंग शुल्क (एडीडी) लगा सकती है। तदनुसार, समय-समय पर 'विटामिन सी', 2 एमएम से 12 एमएम तक मोटे साफ एवं रंगीन विभिन्न (हरे शीशे के अलावा) के साथ –साथ फ्लोट ग्लास और 'मोर्फोलीन' जैसे माल पर एडीडी लगाया गया था जब इन्हें चीन एवम जर्मनी जैसे विशेष देशों से आयात किया गया था।

4.2.1 निर्धारण अधिकारियों ने 'विटामिन सी' 'सोडियम एस्कोर्बेट' 'फ्लोट ग्लास' और'मोर्फोलीन' के 66 प्रेषणों को विनिर्दिष्ट देशों से आयतित जेएनसीएच, न्हावा शेवा, से मैसर्स फीजर एवं अन्य 12 द्वारा मुम्बई एवं चेन्नई (समुद्री) सीमाशुल्क अधिकारियों ने ₹ 3.02 करोड़ की राशि के एडीडी की प्रयोज्य उगाही के बिना स्वीकृत किया।

जेएनसीएच मुम्बई प्राधिकरणों ने फ्लोट ग्लास और मोर्फोलीन के आयात के संबंध में दो आयातकों (मेसर्स सैफायर ग्लास सोल्यूशन्स और मेसर्स हिन्दुस्तान स्पेशियल्टी केमिकल्स) से ₹ 22.47 लाख की वसूली बताई (जुलाई 2016/मई 2017) थी और मेसर्स भवरलाल झांवर एडं सन्स को एक कारण बताओं नोटिस (एससीएन) जारी (मार्च 2017) किया था।

सोडियम एस्कोर्बेट के आयात के संबंध में सीमाशुल्क उपयुक्त (चैन्नै समुद्र) ने कहा (जून 2017) कि अधिसूचना के अनुसार मर्क[14] इन्डेक्स की प्रविष्टी संख्या 867 के तहत विटामिन सी और इसके समानार्थियों पर एडीडी करायोग्य है जबकि आयातित सोडियम एस्कोर्बेट की मर्क इन्डेक्स के क्रम सं. 8525 पर विशेष प्रविष्टि है इसलिए एडीडी पर करारोपित नहीं है।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अधिसूचना सं. 38/2015-एडीडी के अनुसार, एडीडी मर्क इन्डेक्स की प्रविष्टि संख्या 867 के तहत निर्धारित विटामिन सी के सामान्य तौर पर प्रयुक्त समानार्थी सहित विटामिन सी के सभी समानार्थियों पर प्रयोज्य है। इसका अर्थ यह है कि एडीडी विटामिन सी के सभी प्रकारों पर करारोप्य है एवं मर्क इनडेक्स की प्रविष्टि सं. 867 के तहत उल्लेखित तक ही प्रतिबंधित नहीं है।

इसके अलावा सोडियम एस्कॉरबेट एस्कार्बिक एसिड 'विटामीन सी' के खनिज लवणों में से एक है और राजस्व विभाग ने 2015 के एआर सं. 8 के एक समान मामले में (उप पैरा 4.9) लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (दिसम्बर 2014) और आयातक (मेसर्स बजाज हेल्थकेयर लिमिटेड) को कम प्रभार एवं कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया।

शेष नौ आयातकों द्वारा आयातों के संबंध में उत्तर अपेक्षित है (सितम्बर 2017)।

4.3 कम मूल्यांकन के कारण शुल्क की कम उगाही

सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 14 की उप धारा 1 के खण्ड (iii) के साथ पठित सीमाशुल्क मूल्यांकन (आयातित माल के मूल्य का निर्धारण) नियम 2007 के नियम 12 के अनुसार जब अधिकारी के पास किसी आयातित माल

[14] मर्क इन्डेक्स केमिकल पदार्थो का अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर विख्यात एन्साइक्लोपीडिया है।

के संबंध में घोषित मूल्य की सच्चाई या सटीकता पर शंका का उचित कारण हो, वह ऐसे माल के आयातक से दस्तावेज एवं अन्य प्रमाण सहित अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है और यदि ऐसी सूचना प्राप्त करने के बाद या ऐसे आयातकों के उत्तर की अनुपस्थिति में उचित अधिकारी को घोषित मूल्य की सच्चाई एवं सटीकता पर शंका हो, यह माना जाऐगा कि ऐसे आयातित माल के संव्यवहार मूल्य को निर्धारित नहीं किया जा सकता और घोषित मूल्य को अस्वीकार किया जा सकता है।

4.3.1 पॉलीएस्टर चिप्स और 'सटेनलैस स्टील मेल्टिंग स्क्रैप आयातों का कम मूल्यांकन

मेसर्स गार्डन सिल्क मिल्स लिमिटेड और मेसर्स विराज प्रोफाइल्स ने 'पॉलीएस्टर चिप्स सूपर ब्राइट' और ''स्टेन्लैस स्टील मेल्टिंग स्क्रैप ग्रेड 211'' क्रमश: (मई से अगस्त 2016 तक) जेएनसीएच, न्हावा शेवा मुम्बई से आयात किया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि मई/अगस्त 2016 में 'पॉलीएस्टर चिप्स सूपर ब्राइट' और ''स्टेन्लैस स्टील मेल्टिंग स्क्रैप ग्रेड 211'' के समकालीन आयातों को यूएसडी 1050 और 631 पीएमटी क्रमश: के पुन: निर्धारित मूल्य पर सीमाशुल्क मूल्यांकन नियम 2007 के नियम 5 अनुसार जेएनसीएच में निर्धारित किए गए थे।

उपरोक्त उल्लेखित दो आयातकों द्वारा मई से अगस्त 2016 में आयातित माल के उसी पुन: निर्धारित निर्धारण मूल्य को अंगीकृत नहीं करने के परिणामस्वरूप माल का कम मूल्यांकन हुआ और ₹ 77.04 लाख की शुल्क राशि की परिणामी कम उगाही हुई।

इसे इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2016/जनवरी 2017) विभाग ने आयातकों को कारण बताओं नोटिस जारी (जनवरी/मार्च 2017) किया। आगे की प्रगति अपेक्षित है (सितम्बर 2017)।

4.3.2 संबंधित पार्टी द्वारा आयातित माल का कम मूल्यांकन

डीएफएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (आयातक) के मामले में दिनांक 25 मई 2015 आदेश सं. 313/एसी/एसवीडी/वीएमडी 2015-16 में विशेष मूल्यांकन

शाखा, मुम्बई (एसवीबी) ने कहा कि उनके द्वारा मेसर्स डीएफएस वेन्चर सिंगापुर (पीटीई) लिमिटेड (आपूर्तिकार) द्वारा आयातित माल सीमाशुल्क मूल्यांकन नियम (सीवीआर) 2007 के नियम 2 (2) के तहत संबंधित पार्टी संव्यवहार को परिभाषा के तहत था और इसलिए 1 अगस्त 2014 के बाद आयातित माल का बीजक मूल्य सीवीआर 2007 के नियम 3(3) के साथ पठित धारा 14(1) के तहत स्वीकृत था। एसवीबी ने यह भी आदेश दिए कि 1 अगस्त 2014 से पूर्व एवं अंतिम निर्धारण के लिए विलम्बित सभी आयातों में समय-समय पर आपूर्तिकार को आयातक द्वारा लौटाए गए मालभाड़ा तत्व के अतिरिक्त् मूल्य को छह प्रतिशत तक बढ़ाया जायेगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि एसवीबी द्वारा निर्देशित छः प्रतिशत लोडिंग 1 अगस्त 2014 से पूर्व आयातों पर नहीं की गई थी लेखापरीक्षा ने उपलब्ध विवरण पर ₹ 7.47 लाख के शुल्क की कम उगाही इंगित की (अक्टूबर/नवम्बर 2015)) और विभाग को सभी प्रयोज्य आयातों पर कुल शुल्क लगाने का अनुरोध किया।

आयात ने विभाग (नवम्बर 2015) द्वारा निर्देश दिए जाने पर जनवरी 2016 में ₹ 17.21 लाख के शुल्क का भुगतान किया।

4.4 एसईजेड में तैनात अधिकारियों के लिए लागत वसूली प्रकारो की गैर उगाही

भारत सरकार, वाणिज्यिक विभाग, (एसईजेड डिवीजन) परिपत्र एफ.सं.ए-1/13/2008-एसईजेड दिनांक 16 सितम्बर 2010 सेज के अनुसार वेतन एवं भत्ता जैसे कि एसईजेड में तैनात अधिकारियों का अवकाश वेतन अंशदान और पेंशन अंशदान (नई पेंशन योजना के तहत शामिल कर्मचारियों के मामले में) सभी व्यय का भुगतान प्रयोज्य वेतन बैंड एवं ग्रेड पे में वास्तविक आंकडों के अनुसार डेवलपर्स द्वारा किया जायेगा। परिपत्र के अनुसार संबंधित क्षेत्र के विकास आयुक्त निर्धारित पद्धति के अनुसार वेतन एवं भत्तों के व्यय के कारण लागत वूसली प्रभारों लागु करने के लिए उत्तरदायी है।

4.4.1 विकास आयुक्त वीएसईजेड, दुवाड़ा, विशाखापट्टनम के कार्यालय की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि अप्रैल 2015 से मार्च 2016 एवं पिछले वर्षों

की अवधि के लिए ₹ 4.70 करोड़ की लागत वूसली प्रभारों की राशि की उगाही 53 इकाईयों से विलम्बित है।

इसे इंगित किए जाने पर (मार्च/जून 2016) डीजीएफटी नई दिल्ली ने विशाखापट्नम एसईजेड प्राधिकरणों (जुलाई 2016/जनवरी/सितम्बर 2017) द्वारा ₹ 4.18 करोड़ वसूली बताई (सितम्बर 2017) तथा कहा कि इकाई से शेष बकायों की उगाही के लिए प्रयास किए जा रहे है।

सामयिक ढंग से लागत प्रभारों की गैर वसूली के परिणामस्वरूप डेवेलपर को अनावश्यक वित्तीय समायोजन हुआ।

अध्याय V

माल का गलत वर्गीकरण

यह अध्याय उन मामलों का वर्णन करता है जहां निर्धारण अधिकारी उन विभिन्न माल के आयात को अनुमत करता है जहां उनका गलत वर्गीकरण हुआ था। रिकार्ड के परीक्षण जांच (मार्च 2014 से मार्च 2016 तक) के दौरान लेखापरीक्षा ने आयातित माल के गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 6.12 करोड़ के सीमाशुल्क की कम उगाही /गैर उगाही के 21 मामले देखे गए। इनमें से सात मामलों पर निम्न पैराग्राफ में चर्चा की गई है और 14 मामले जो कि विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए है और वूसली की गई है वसूली प्रक्रिया प्रारंभ की गई है **अनुबंध 7** में उल्लेखित हैं।

5.1 मध्यम चेन ट्राइग्लीसराइड (एमसीटी) पामेस्टर 3595 आयात के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम वूसली

पामेस्टर 3595/पामेस्टर 3585 को एमसीटी आयल भी कहा जाता है, कैप्राइलिक/कैप्रिक ट्राईग्लीसराइड सहित मध्यम चेन ट्राइग्लीसराइड से बना है जो कि पाम ऑयल और पाम कर्नल ऑयल से निर्मित रिएस्टरीफाइड फैटी एसिड ट्राइग्लीसराइड होते हैं। नामपद्धति की सुसंगत प्रणाली (एचएसएन) व्याख्यात्मक नोट के अनुसार, वानस्पतिक वसा एवं तेल एवं उनके भाग पूर्ण या आंशिक रूप से पुन: एस्टरीफाइड यदि रिफाइन्ड या नहीं किन्तु आगे बनाए नहीं गए को सीटीएच 151620 के तहत वर्गीकृत करने योग्य है और 80 प्रतिशत (अधिसूचना सं. 12/2012-सी.शु. दिनांक 12 मार्च 2012 क्रम सं. 68) की दर पर बीसीडी पर करारोप्य हैं।

मैसर्स के पी मनीष ग्लोबल इन्ग्रेडियन्स प्राइवेट लिमिटेड ने चैन्नै (समुद्र) सीमाशुल्क द्वारा "पामेस्टर 3595 एक्राइलिंक कैप्रिक ट्राइग्लीसराइड" के छ: संप्रेषणों का आयात किया (नवम्बर 2015 से मार्च 2016 तक)। माल को प्राकृतिक उत्पादों के उन मिश्रण सहित अन्य रसायनिक उत्पादों एवं रसायन अथवा सम्बन्धित उद्योगों की प्रिपेरेशन के तौरपर सीटीएच 38249090 के तहत गलत ढंग से वर्गीकृत किया गया था और अधिसूचना क्रम सं. 46/2011 सी.शु. दिनांक 1 जून 2011 के तहत बीसीडी से छूट दी गई थी।

लेखापीक्षा ने देखा कि उत्पादों को पूर्व कथित एचएसएन व्याख्यात्मक टिप्पण एवं रूलिंग संख्या एन 252004 यूएस सीमाशुल्क रूलिंग ऑनलाइन खोज प्रणाली (सीआरओएसएस) द्वारा समर्थित निर्णय के अनुसार सीटीएच 15162099 के तहत सही ढंग से वर्गीकरण के योग्य है एवं तदनुसार 80 प्रतिशत पर बीसीडी पर करारोप्य हैं। इस प्रकार गलत वर्गीकरण एवं अधिसूचना लाभ के गलत विस्तारण के परिणास्वरूप ₹ 1.94 करोड़ के शुल्क की कम उगाही हुई थी।

यह अप्रैल 2016 में विभाग को इंगित किया गया था, उनका उत्तर अपेक्षित है (सितम्बर 2017)।

5.2 मिर्च के बीजों के आयात के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम उगाही

जिनस कैप्सीकम के मिर्च के बीज सीटीएच 09042212 के तहत वर्गीकृत योग्य हैं और 70 प्रतिशत की दर पर बीसीडी लगाया जाता है।

मैसर्स रॉयल सीड्स कारपोरेशन और छः अन्य ने एनसीएच, नई दिल्ली के माध्यम से जीनस कैप्सिकम के मिर्च बीजो की 21 खेपों का आयात किया (जुलाई से नवम्बर 2016)। इन वस्तुओं को सीटीएच 12099190 के अन्तर्गत –अन्य वनस्पति बीज के रूप में वर्गीकृत किया गया था तथा पॉच प्रतिशत की दर से बीसीडी का निर्धारण किया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि जीनस कैप्सिकम के बीज मिर्च बीज हैं और इनका वर्गीकरण सीटीएच 09042212 के अन्तर्गत जीनस कैप्सिकम के मिर्च बीज के रूप में किया जाना चाहिए और वसूले गए पॉच प्रतिशत की दर की बजाए 70 प्रतिशत की दर से बीसीडी वसूली की जानी चाहिए थी। गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 90.76 लाख के शुल्क की कम वसूली हुई।

यह मामला उठाए जाने पर (दिसम्बर 2016/मार्च 2017) विभाग ने बताया (मार्च 2017) कि आयातकों को मांग के साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितम्बर 2017)।

5.3 'मोबाइल कंक्रीट मिक्सर' आयातों के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम वसूली

सीटीएच 8705 में ऐसे मोटर वाहन शामिल होते है जिसमें ऐसे कई डिवाइसेज लगे होते हैं जो इन्हें कुछ गैर–परिवहनीय कार्यों को निष्पादित करने में सक्षम बनाते हैं। सीटीएच 8474 के अन्तर्गत दी गई नामपद्धति की संतुलित प्रणाली (एचएसएन) नोट्स के अनुसार जब कंक्रीट मिक्सर स्थायी रूप से किसी रेल वैगन के ऊपर लगाया जाता है अथवा लॉरी चेसिस पर लगाया जाता है तो इसे सीटीएच 8474 से छूटप्राप्त है और तब इसे क्रमश: सीटीएच 8604 अथवा 8705 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा, सीटीएच 8705 के एचएसएन नोट्स के क्रम सं. 10 में स्पष्ट उल्लेख है कि एक कैब और मोटर वाहन चेसिस वाले कंक्रीट मिक्सर लॉरी जिस पर स्थायी रूप से कंक्रीट मिक्सर लगा हो और जो इसे कंक्रीट बनाने और इसके परिवहन हेतु सक्षम बनाता है सीटीएच 8705 के अन्तर्गत आता है। तदनुसार, मिक्सर लॉरी को सीटीएच 87054000 के अन्तर्गत तथा सीटीएच 8701 से 8705 के मोटर वाहनों के कल पुर्जे एवं उपकरणों को सीटीएच 8708 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है और इस पर 10 प्रतिशत की दर से बीसीडी लगाया जाना चाहिए।

मैसर्स अजक्स फियोरी इंजीनियरिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने चेन्नई (पत्तन) सीमा शुल्क के माध्यम से 'स्टीयरिंग एक्सल, गियर बॉक्स वाले स्टीयरिंग एक्सेल, गियर बॉक्स वाले दाना एक्सेल, निगेटिव के लिए वाल्व, हैंड ब्रेक आदि जैसे मोबाइल कंक्रीट मिक्सर के पुर्जों का आयात किया (सितम्बर 2014 और जनवरी 2015 के बीच)। वस्तुओं को क्लचेज और सॉफ्ट कप्लिंग्स' के रूप में सीटीएच 84836090/84818090 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था और 10 प्रतिशत के लागू दर की बजाए 7.5 प्रतिशत दर के बीसीडी का निर्धारण किया था। गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 51.48 लाख के शुल्क का कम संग्रहण हुआ।

इसे इंगित किए जाने पर (मार्च 2015/अक्टूबर 2016) विभाग ने बताया (फरवरी 2017) कि आयातक ने ₹ 51.48 लाख की कम उगाही की पुष्टि के आदेश के विरूद्ध सेसटैट, चेन्नई में अपील दाखिल किया है। तदनुसार, वसूली कार्यवाही इस अपील के परिणाम आने के बाद ही शुरू की जा सकती थी। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितम्बर 2017)।

5.4 समुद्री खरपतवार एक्सट्रैक्ट आयातों के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम वसूली

नामपद्धति की सुमेलित प्रणाली (एचएसएन) के अनुसार, अध्याय शीर्ष 3808 'वनस्पति वृद्धि रेगुलेटर' के अन्तर्गत व्याख्यात्मक नोटस वनस्पति के जीवन चक्र में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किए जाते है ताकि वृद्धि अधिक या कम हो, उपज में वृद्धि हो, गुणवत्ता में सुधार हो या फसल काटना सरल हो आदि और सीटीएच 38089340 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य हैं। अतः पौधा वृद्धि विनियामक के रूप में प्रयुक्त समुद्री खरपतवार (सीवीड) एक्सट्रैक्ट लिक्विड' और 'सिंथेटिक आर्गेनिक केमिकल्स' सीटीएच 38089340 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है और इस पर 10 प्रतिशत की दर से बीसीडी और 12.5 प्रतिशत की दर से सीवीडी लगाया जाना चाहिए।

मैसर्स मैंग्लुरू केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने जेएनसीएच, न्हावा शेवा, मुम्बई के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका से 'केलपक सीवीड एक्सट्रैक्ट' की तीन खेपों का आयात किया (अक्टूबर से दिसम्बर 2016)। विभाग ने आयातित वस्तुओं का 'पशु एवं वनस्पति उर्वरकों/अन्य उर्वरकों/जैविक रसायनों के रूप में सीटीएच 31010099 के अन्तर्गत गलत वर्गीकरण कर दिया तथा 10 प्रतिशत की बीसीडी और 12.5 प्रतिशत की सीवीडी की बजाए सीवीडी से छूट दी और 7.5 प्रतिशत की दर से बीसीडी वसूला। 'केलपक सीवीड एक्ट्रैक्ट' एक प्राकृतिक सीवीड है जो जड़ विकास को तेज करने तथा पौधों के स्वास्थ्य में सुधार करता है और सभी प्रकार के पौधों के लिए पौधा वृद्धिकर्ता के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए इन्हें सीटीएच 38089340 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए तथा इस पर 10 प्रतिशत की दर से बीसीडी लगाया जाना चाहिए। गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 43.81 लाख के शुल्क की कम वसूली हुई।

इसे इंगित किए जाने पर (अप्रैल 2017) विभाग ने कहा (मई 2017) कि आयातक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितम्बर 2017)।

5.5 रबर बैंड/हेयर रबर बैंड आयातों के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम वसूली

रबर बैंड को कठोर रबर की बजाय गंधक रबर की अन्य वस्तुओं के रूप में सीटीएच 40169920 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है और इस पर 12.5 प्रतिशत की दर से सीबीडी लगाया जाता है।

मैसर्स मेरा बाबा इंटरनेशनल और 65 अन्य ने आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली के माध्यम से 'रबर बैंड/हेयर रबर बैंड' की 302 खेपों का आयात किया (जनवरी 2016 से जनवरी 2017)। आयातित वस्तुओं को अन्य कॉम्ब हेयर स्लाइड्स और हेयर पिन, कर्लिंग पिन, कर्लिंग ग्रिप्स, हेयर कर्लर्स के रूप में सीटीएच 96159000 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था और 'शून्य' दर पर वसूली के पश्चात मंजूरी दी गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आयातित वस्तुओं को रबर बैंड्स घोषित किया गया था और इसलिए रबर बैंड के रूप में यह सीटीएच 40169920 के अन्तर्गत वर्गीकरणयोग्य है तथा इस पर 12.5 प्रतिशत की दर से सीवीडी लगाया जाना चाहिए। गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 32.75 लाख के शुल्क की कम वसूली हुई।

इसे इंगित किए जाने पर (जनवरी/फरवरी/मार्च 2017) विभाग ने बताया (अप्रैल 2017) कि दो आयातकों (मैसर्स अटलांटिक सेल्स और मैसर्स यूनाइटेड सेल्स) ने तीन खेपों के संबंध में ब्याज सहित ₹ 0.18 लाख जमा करा दिया था। शेष खेपों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2017)।

5.6 चाय फिल्टर पेपर के आयात के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम वसूली

फिल्टर पेपर और पेपर बोर्ड को सीटीएच 48232000 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है और इस पर 12.5 प्रतिशत की सीवीडी दर से शुल्क लगाया जाता है।

मैसर्स हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड ने आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली के माध्यम से' 94 मिमी चौड़े डायनापोर चाय फिल्टर पेपर' की छः खेपों का आयात किया (मई से नवम्बर 2016)। आयातित वस्तुओं को फिल्टर पेपर और पेपर

बोर्ड के रूप में सीटीएच 48054000 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया और छः प्रतिशत दर के सीवीडी का निर्धारण किया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अध्याय 48 के नोट 8 के अनुसार सीटीएच 4805 में 3 सेमी से अधिक चौड़ी पेपर और रोल्स निहित हैं। चूंकि आयातित फिल्टर पेपर की चौड़ाई 94 मिमी है, इसलिए इसे सीटीएच 4823000 के अन्तर्गत फिल्टर पेपर और पेपर बोर्ड के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और इस पर वसूले गए छः प्रतिशत की बजाए 12.5 प्रतिशत की दर से सीवीडी लगाया जाना चाहिए। इस प्रकार गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 19.26 लाख के शुल्क की कम वसूली हुई।

इसे इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2016/मार्च 2017), विभाग ने कहा (फरवरी 2017) कि आयातक को मांग नोटिस जारी किया गा है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितम्बर 2017)।

5.7 'क्रोमो पेपर 80 जीएसएम' के आयात के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम वसूली

'क्रोमो पेपर 80 जीएसएम' को क्रोमो और आर्ट पेपर कोटेड के रूप में सीटीएच 48119012 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है और इस पर 12.5 प्रतिशत की दर से सीवीडी लगाया जाता है।

सीमाशुल्क आयुक्त जेएनसीएच, महाराष्ट्र ने समान आयात में अक्टूबर 2015 के अपने मूल आदेश में निर्णय दिया कि ''क्रोमो पेपर 80 जएसएम'' का सीटीएच 48119012 के अन्तर्गत वर्गीकरण किया जाएगा तथा इस पर अन्य शुल्कों के अलावा 12.5 प्रतिशत की दर से सीवीडी लगाया जाएगा।

मैसर्स मुद्रिका लेबल्स प्राइवेट लि. और चार अन्य ने जेएनसीएच, न्हावा शेवा, मुम्बई के माध्यम से क्रोमों पेपर जीएसएम 80' की 36 खेपों का आयात किया (फरवरी 2013 से फरवरी 2016)। आयातित वस्तुओं का 'क्रोम पेपर अथवा पेपर बोर्ड'/अन्य पेपेर/ ब्लीच्ड पेपर के रूप में सीटीएच 48101330/48101390/48103200/48101990 के अन्तर्गत गलत वर्गीकरण किया गया तथा 12.5 प्रतिशत के लागू दर की बजाए छः प्रतिशत दर पर सीवीडी लगाकर मंजूरी दी गई।

गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 14.40 लाख की शुल्क राशि का कम उद्ग्रहण हुआ जिसकी वसूली की जानी चाहिए।

विभाग को मार्च/अप्रैल 2017 में मामले से अवगत करा दिया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2017)।

नई दिल्ली
दिनांक: 21 नवम्बर 2017

(शेफाली एस अंदलीब)
प्रधान निदेशक (सीमाशुल्क)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 22 नवम्बर 2017

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक